माध्यमिक शिक्षा संबंधित विभिन्न योजनाएं

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उच्च शिक्षा संस्थान निम्नलिखित हैं जो माध्यमिक शिक्षा संबंधित विभिन्न योजनाओं को आधार प्रदान करने, उन्हें सृजित करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती हैं-

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश: यह एक परीक्षा लेने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाली संस्था है। इसे संक्षेप में "यूपी बोर्ड" के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड ने १०+२ शिक्षा प्रणाली अपनायी हुई है। यह १०वीं एवं १२वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिये सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की स्थापना सन् १९२१ में प्रयागराज में संयुक्त प्रान्त वैधानिक परिषद (यूनाइटेड प्रोविन्स लेजिस्लेटिव काउन्सिल) के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।[1] इसने सबसे पहले सन् १९२३ में परीक्षा आयोजित की। यह भारत का प्रथम शिक्षा बोर्ड था जिसने सर्वप्रथम १०+२ परीक्षा पद्धति अपनायी थी। इस पद्धति के अंतर्गत्त प्रथम सार्वजनिक (बोर्ड) परीक्षा का आयोजन १० वर्षों की शिक्षा उपरांत, जिसे हाई-स्कूल परीक्षा एवं द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा १०+२=१२ वर्ष की शिक्षा के उपरांत दिये जाते हैं, जिसे इंटरमीडियेट परीक्षा कहते हैं। इसके पहले प्रयागराज विश्वविद्यालय "हाई स्कूल" एवं "इण्टरमिडिएट" की परीक्षाएं आयोजित करता था।

उत्तर प्रदेश बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य में हाई स्कूल एवं इण्टरमिडिएट की परीक्षा आयोजित करना होता है। इसके अलावा राज्य में स्थित विद्यालयों को मान्यता देना, हाई स्कूल एवं इण्टरमिडिएट स्तर के लिये पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें निर्धारित करना भी प्रमुख कार्य है। साथ ही बोर्ड अन्य बोर्डों द्वारा ली गयी परीक्षाओं को तुल्यता प्रदान करता है। आने वाले समय में सदा बढ़ते

रहने वाले कार्यभार को देखते हुए, बोर्ड को पूरे क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के इलाहाबाद स्थित केन्द्रीय कार्यालय से कई समस्याओं का नियंत्रण और संचालन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अतः बोर्ड के पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना मेरठ (१९७३), वाराणसी (१९७८), बरेली (१९८१), प्रयागराज (१९८७), गोरखपुर (२०१६), में की गई। इन कार्यालयों में क्षेत्रीय सचिवों की नियुक्ति की गईं, जिनके ऊपर इलाहाबाद स्थित मुख्यालय के सचिव प्रधान कार्यपालक के रूप में कार्यरत रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व रामनगर, नैनीताल स्थित कार्यालय को [८ नवंबर], (२०००) को उत्तरांचल राज्य के गठन के समय यू.पी.बोर्ड से अलग कर दिया गया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बोर्ड ३२ लाख से अधिक छात्रों की परीक्षाएं संचालित करता है।

उत्तर प्रदेश में कुछ माध्यमिक विद्यालय [काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशंस] (आई.सी.एस.ई बोर्ड) एवं [केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड] (सी.बी.एस.ई) द्वारा प्रशासित हैं, वर्ना अधिकांश माध्यमिक विद्यालय उ.प्र.बोर्ड की मान्यता प्राप्त हैं। वर्तमान में ९१२१ माध्यमिक विद्यालय इस बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद : मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है । यह 10वीं एवं 12वीं कक्षा को परीक्षाएँ आयोजित करने हेतु विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करता है । वर्ष 1921 में यू.पी. उच्च विद्यालय तथा इन्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई / संयुक्त प्रांत की सरकार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के उत्तर में तत्कालीन भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों अजमेर - मारवाड़ , मध्य भारत तथा ग्वालियर के लिए वर्ष 1929 में एक संयुक्त बोर्ड गठित करने का सुझाव दिया जिसे ' उच्च विद्यालय तथा इन्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड ' नाम दिया गया ।

वर्ष 1952 में बोर्ड की संरचना में संशोधन किया गया जिसमें इसके क्षेत्राधिकार में खंड ' ग ' तथा खंड ' घ ' क्षेत्रों को शामिल किया गया । बोर्ड का वर्तमान नाम ' केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ' दिया गया । दिनांक 01.07.1962 के संकल्प द्वारा बोर्ड का पुनर्गठन करने के बाद यह राष्ट्रीय बोर्ड बन गया जिसका मुख्यालय दिल्ली हो गया ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद
(National Council of Educational Research and Training):
एक स्वायत्त संस्था है जिसका गठन सितम्बर, 1961 में किया गया। यह संस्थान स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख सलाहकारी निकाय है। यह मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। स्कूली शिक्षा के प्रसार के लिए यह राज्य शिक्षण विभाग, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों के निकट सहयोगी के रुप में कार्य करता है। इसके साथ ही यह स्कूली बच्चों के लिए सभी विषयों में आदर्श पाठ्य पुस्तकों का भी निर्धारण करता है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा प्राथमिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र बाल विपदा राहत कोष (यूनिसेफ) के सहयोग से प्रारम्भ की गयी अनेक परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजनाओं से सम्बद्ध गतिविधियों में संतुलन स्थापित करने एवं उनको प्रबोधित करने का कार्य किया जाता है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रथम से बारहवीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम विकसित करने के साथ ही उनकी पाठ्य-पुस्तकें भी तैयार करती है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी' का भी आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद 'साइंस किट्स' भी तैयार करती है।

परिषद के अंतर्गत चार केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान कार्यरत है, जो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त इसके 17 केंद्रीय कार्यालय है।

माध्यमिक शिक्षा संबंधित विभिन्न योजनाएं

नवोदय विद्यालय योजना: जवाहर नवोदय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय, सह शिक्षा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - १९८६ के अन्तर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारम्भ किए थे। प्रत्येक जिलों में आवासीय विद्यालयों की अवधारणा 'नई शिक्षा नीति' 1986 के अंतर्गत प्रकट हुई। सर्वप्रथम ऐसे विद्यालय प्रयोग हेतु खोले गए, वर्तमान में (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) इन विद्यालयों की कुल संख्या 661 हो गई है।

वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित

राज्यो में संचालित है। यह सह-शिक्षा आवासीय विद्यालय है, जिन्हे एक स्वायत्त संगठन 'नवोदय विद्यालय समिति' के ज़रिए भारत सरकार द्वारा संचालित सम्पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश, 'जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) के माध्यम से कक्षा 6 में की जाती हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है। परन्तु गणित और विज्ञान के लिए माध्यम अंग्रेज़ी है, और सामाजिक विज्ञान के लिए माध्यम हिन्दी है। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक नवोदय विद्यालय एक सह-शैक्षणिक आवासीय संस्थान है जो छात्रों को मुफ्त बोर्डिंग और लॉजिंग, मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, और फ्रो रेल और बस किराया प्रदान करता है।

राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) की स्था्पना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में देश में विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से की गई। स्था पना के बाद शीघ्र ही परिषद् ने इस दिशा में बहुत से कार्यक्रम तैयार किए। ऐसा ही एक कार्यक्रम प्रतिभावन विद्यार्थियों की पहचान एवं उन्हें प्रोत्साहित करना था। **वर्ष 1963 में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना (एन.एस.टी.एस.एस.) नामक योजना के रूप में प्रतिपादित किया गया** जिसमें प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान और उन्हेंव छात्रवृत्तियों द्वारा पुरस्कृत करने का प्रावधान था। इस योजना के कार्यान्ववयन के प्रथम

वर्ष के दौरान, यह दिल्ली के संघ राज्य - क्षेत्र तक ही सीमित था जिसमें कक्षा XI के विद्यार्थियों को केवल 10 छात्रवृतियाँ प्रदान की जाती थीं।

वर्ष 1964 में इस योजना को कक्षा XI के विद्यार्थियों हेतु 350 छात्रवृत्तियाँ देश के सभी राज्योंल और संघ राज्य। - क्षेत्रों में विस्ता्रित कर दी गई। ये छात्रवृत्तियाँ लिखित परीक्षा, परियोजना रिपोर्ट और साक्षात्कावर के आधार पर प्रदान की जाती थीं। लिखित परीक्षा में विज्ञान अभिरूचि परीक्षा और निर्दिष्टं वैज्ञानिक विषय वस्तु पर एक निबन्ध शामिल था। अभ्यर्थियों को परियोजना रिपोर्ट लिखित परीक्षा के समय प्रस्तुत करनी होती थी। इन तीन घटकों के आधार पर चयनित अभ्य्थियों की अनुबद्ध संख्या् को तत्पश्चासत् वैयक्तिक साक्षात्कार देना होता था। इन चार घटकों में अभ्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्तत: छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रयोजन हेतु नियुक्ता किया जाता था। ये छात्रवृत्तियाँ शोध अध्ये्ता तक केवल मौलिक विज्ञान में शिक्षा प्राप्तु करने के लिए प्रदान की जाती थीं।

शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली के प्रारंभ होने के पश्चात् वर्ष 1976 में एन.एस.टी.एस. योजना में भी परिवर्तन हुआ। अब यह केवल मौलिक विज्ञान तक ही सीमित नहीं था बल्कि सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी और आयुर्विज्ञान तक विस्ताारित हो चुका था। इसको **राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना** (एन.टी.एस.एस.) के रूप में पुनर्नामित किया गया। चूंकि देश में शिक्षा प्रणाली एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी, इस योजना को कक्षा X, XI और XII के विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया और प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक-पृथक परीक्षाएं संचालित की गईं। छात्रवृत्तियों की संख्याा को 500 तक बढ़ा दिया गया। चयन प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया गया। अब अभ्यईर्थियों को दो वस्तुखनिष्ठक प्रकार की लिखित परीक्षाओं नामत: मानसिक योग्ता परीक्षा (एम.ए.टी.) और शैक्षिक अभिवृत्ति परीक्षा (एस.ए.टी.) देनी होती थीं। इन दो परीक्षाओं के अर्हक अभ्यर्थियों की

अनुबद्ध संख्या को आमने-सामने साक्षात्कासर के लिए उपस्थित होना होता था। एम.ए.टी., एस.ए.टी. और साक्षात्कार में प्राप्तष किए गए सम्मिलित प्राप्तां्कों के आधार पर अंतिम पुरस्कार दिए जाते थे।

वर्ष 1981 में छात्रवृत्तियों की संख्याा पुन: 500 से बढ़ाकर 550 कर दी गई। ये 50 छात्रवृत्तियाँ केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्य र्थियों के लिए थीं। वर्ष 1983 में छात्रवृत्तियों की संख्याी पुन: बढ़ाकर 750 कर दी गई जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्य9र्थियों के लिए 70 छात्रवृत्तियों का विशेष प्रावधान था। यह व्यवस्था तब तक चलती रही जब तक वर्ष 1985 में इस योजना का विकेन्द्रीकरण नहीं कर दिया गया। वर्ष 2000 में छात्रवृत्तियों की संख्याव को 750 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया जिसमें अनु.जा.और अनु.ज.जाति. के अभ्यकर्थियों के लिए राष्ट्रीय मानकों के आधार पर क्रमश: 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था।

इस योजना में एक और परिवर्तन वर्ष 2006 में किया गया जहाँ एन.टी.एस. परीक्षा कक्षा VIII के अन्तर में आयोजित की जाती थी। वर्ष 2008 की परीक्षा से शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए 3 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।